(384)

51

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–प.3(55)नाविवि/3/2002 जयपुर, दिनांकः 27 SEP 2011

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
2. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्था, जयपुर
(समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिकाओं को प्रेषित करने के क्रम में)
4. सचिव, नगर सुधार न्यास...................... (समस्त)

विषयः– नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन करने के लिए निर्धारित मापदण्डों की चैकलिस्ट।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक, चेरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन करने हेतु जारी नीति दिनांक 19.4.11 जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों, राजस्थान आवासन मण्डल एवं समस्त नगरीय निकायों पर लागू है। उक्त आवंटन नीति के अन्तर्गत संस्थाओं को भूमि आवंटन करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर रियायत हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये है।

निर्धारित मापदण्डों की चैकलिस्ट पूर्व में विभागीय पत्र क्रमांक प.3(628)नविवि/3/2011 दिनांक 9.5.2011 द्वारा प्रेषित की गयी थी जिसमें आवेदित भूमि नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र में स्थित होने संबंधी सूचना सम्मिलित कर पुनः संशोधित चैकलिस्ट प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि ऐसे प्रकरणों में जहां आवेदनकर्ता के अनुरोध पर राज्य सरकार से रियायत दर की अनुमति प्राप्त करनी होगी बाबत् प्रत्येक प्रकरण में भूमि आवंटन के प्रस्ताव उपरोक्त निर्धारित किये गये मापदण्डा के अनुरूप तैयार कर चैकलिस्ट के साथ विभाग को भिजवावें।

संलग्न : चैकलिस्ट का प्रारूप

भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

(171)

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत् निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट (विभागीय पत्र क्रमांक प.3 (55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक को जारी नीति के अन्तर्गत

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

क.स.		
1.	आवेदक का नाम/पता	
2.	शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	
3.	चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	
4	आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	
5.1	संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	
5.2	संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यो का विवरण	
6.1	चाही गई भूमि के उपयोग बाबत् परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाऐं

6.2	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गो को व क्या लाभ मिलेगा	
6.3	आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत् नोर्म्स	
7.	क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	
8.	संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
9.	आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था ने जमा करवायी गई।	
10.	चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
11.	चाही गई अविकसित भूमि के लिए कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर	
12.	चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	
13.	आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साख संबंधी विवरण	
13.1	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	
13.2	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	
14.	आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	
15.	आवेदक संस्था को 30 प्रतिशत दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यो के संबंध में विवरण	
16.	यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनियोग राशि का विवरण	
17.	आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
18.	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत् वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है	
19.	अन्य विवरण	